

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241867
SG-DL-E-11012023-241867

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 439
No. 16] DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944 [N. C. T. D. No. 439

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

फा. सं. 23(488)/परि.वि./ARU/2010/452/4673.—इस सम्बन्ध में जारी पूर्ववर्ती अधिसूचना के अतिक्रमण में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा 1 के साथ धारा (2) की उप-धारा (41) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश देते हैं, अर्थात्—दिल्ली में ऑटो रिक्शा तथा टैक्सी (काली तथा पीली छत्त) के ऑपरेटरो द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा—

(क) ऑटोरिक्शा

(अ) किराया (जीपीएस)/जीपीआरएस/नियंत्रणकक्ष तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केंद्र के लिए 0.50 रुपए के प्रभार सहित)	प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 30/- रुपए (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 11/- रुपए
(ब) रात्रि प्रभार	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)
(स) प्रतीक्षा प्रभार	0.75 रुपए प्रति मिनट, ट्रैफिक में फसे या बेहद धीमीगति से चलने वाले प्रत्येक मिनट के लिए (10 मिनट में 1 किमी से कम की दूरी)

(द) समान प्रभार	10/- रूपए प्रति पीस चार्ज किया जाएगा, जबकि ड्राइवर/ऑपरेटर शॉपिंग बैग या छोटे अटैची/सूटकेस के लिए कोई पैसा नहीं लेगा।
-----------------	--

(ख) टैक्सी (काली तथा पीली छत्त)

(अ) किराया (जीपीएस)/जीपीआरएस/नियंत्रण कक्ष तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के मांग पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाले केंद्र के लिए 0.50 रूपए के प्रभार सहित)	प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 40/- रूपए (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए नान एसी 17/-रूपए तथा एसी 20/- रूपए
(ब) रात्रि प्रभार	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)
(स) प्रतीक्षा प्रभार	1.00 रूपए प्रतिमिनट, ट्रैफिक में फसे या बेहद धीमीगति से चलने वाले प्रत्येक मिनट के लिए (10 मिनट में 1 किमी से कम की दूरी)
(द) सामान प्रभार	15/- रूपए प्रति पीस चार्ज किया जाएगा, जबकि ड्राइवर/ऑपरेटर शॉपिंग बैग या छोटे अटैची/सूटकेस के लिए कोई पैसा नहीं लेगा।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से लागू होगा।

नोट : किराया वृद्धि की पुरानी अधिसूचना निम्नलिखित है:-

1. ऑटोरिक्शा-दिल्ली राजपत्र असाधारण सं 278 दिनांक 23.12.2020 (रा.रा.रा.क्षे. दि.सं 234)
2. टैक्सी (काली तथापीली छत्त) -दिल्ली राजपत्र असाधारण सं 77 दिनांक 08.05.2013 (रा.रा.रा. क्षे. दि.सं 30).

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आशीष कुंद्रा, प्रधान सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2023

F. No. 23(488)/TPT/ARU/2010/452/4673.—In suppression of earlier notification issued in this behalf and in exercise of power conferred by Sub-Section (1) of Section 67 read with Sub-Section (41) of Section 2 of Motor Vehicles Act 1988 (15 of 1988), The Lieutenant Governor of Nation Capital Territory of Delhi hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi namely:-

The fare chargeable by the operators of Auto Rickshaw and Taxi (Black & Yellow Top) in the National Capital Territory of Delhi Shall be as follows:

A). Auto Rickshaw

a	Fare (including Rupees 0.50 charges for global positioning system (GPS)/General packet radio service (GPRS/Control Room)	Rs. 30/- for first fall of 1.5 Km (upon downing the meter) and thereafter Rs. 11 per Km for every additional Kilometer.
b	Night Charges	25% of the fare (11.00 P.M. to 05.00 A.M.)
c	Waiting Charges	Rs. 0.75 paise per minute for every minute stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km. covered in 10 minutes).
d	Luggage Charges	Rs. 10 shall be charges per piece, whereas the driver/operator shall not charge any money for shopping bag or a small attaché/suitcase

B. Taxi (Black & Yellow Top)

a	Fare including 0.50 charges for Global Positioning System (GPS)/General packet Radio Service (GPRS)/ Control Room)	Rs. 40/- for first fall of 1 km (upon downing the meter) for and thereafter Rs. 17 per km for Non-AC Taxis and Rs. 20 per km for AC Taxis for every additional kilometer.
B	Night Charges	25% of the fare (11.00 PM to 5.00 AM)
c	Waiting Charges	Rs. 1.00 per minute for every minute stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km. covered in 10 minutes.)
d	Luggage Charges	Rs. 15 shall be charges per piece, whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small attaché / suitcase

This notification shall come into force from the date of publication in the official gazette.

Note: The details of previous fare revision notification are as follows:

1. Auto Rickshaw- Delhi Gazette Extraordinary No. 278 dated 23.12.2020 (N.C.T.D. No. 234).
2. Taxi (Black & Yellow Top) Delhi Gazette Extraordinary No. 77 dated 08.05.2013 (N.C.T.D. No. 30)

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ASHISH KUNDRA, Pr.Secy. (Transport)